न्यायालय चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 01/2023(GCMS 2023/300)

1. **ज्ञान कौर** बेवा मुख्त्यार सिंह
2. अंग्रेज सिह पुत्र स्व. मुख्त्यार सिंह

} जाति मजहबी सिख निवासी गांव मटीलीराठान, तह. जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर**
2. **अतिरिक्त सैटलमैंट ऑफिसर** (अति. जिला कलेक्टर) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्त श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 18.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का दिया कि प्रार्थी की पत्रावली 60/82 दिनांक 27.11.1984 से पेंडिग पड़ी है और उसको पेशी में लेकर धारा 19(2) डीपी एक्ट में उचित निर्णय करने हेतु सुनवाई के लिए निश्चित करने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे बिना सुने दिनांक 04.11.2022 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस पर प्रार्थी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्त्ता व उसे वकील को बिना सुने मेरिट पर निर्णय कर दिया। जबकि उक्त पत्रावली में 1984 से रिसीवर होने के बाद पेडिंग पड़ी थी।

निगरानीकर्त्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो मिसल पेशी में लेकर सुनवाई की, उस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की थी और वह अपील अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार था, लेकिन उनके द्वारा भी अन्य का जो इससे सम्बन्धित नहीं था, उसका हवाला देकर अपील विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दी जबकि उस केस का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था।

निगरानीकर्त्ता का आवेदन पत्र जो वादग्रस्त भूमि चक 13 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 2 के 12 बीघा 10 बिस्वा में 175 आरटी एक्ट के तहत रिसीवर हुआ था जो 1984 के बाद तारीख निश्चित नहीं की गयी, उसकी सुनवाई के लिए तारीख निश्चित करवाने का आवेदन पत्र पेश किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी तारीख निश्चित नहीं की और अन्य व्यक्ति के आवेदन पत्र पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मैरिट पर खारिज कर दिया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 19(2) डीपी एक्ट के अन्तर्गत मिसल संख्या 60/81 चक 13 एफ बड़ा की मुरब्बा नम्बर 2 की पैडिंग पड़ी है, उसके बारे में ही निर्णय करना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया बल्कि एक अन्य व्यक्ति के आवेदन पत्र पर मूल प्रार्थना पत्र व पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दोनों खारिज कर दिये।

इसलिए निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अतिरिक्त सैटलमेन्ट ऑफिसर (अति. जिला कलेक्टर), श्रीगंगानगर दिनांक 24.07.2023 मिसल संख्या 30/2023 अनवानी ज्ञान कौर बनाम जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर व जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.11.2022 व पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2022 मिसल संख्या 60/82 अनवानी सरकार बनाम मुख्त्यार सिंह को निरस्त किया जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने पूर्व में निगरानी (डी.पी.सी.एण्ड आर.) संख्या 01/2016 पेश की थी। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की निगरानी एडमिशन के स्तर पर खारिज कर दी थी और अपने निर्णय दिनांक 29.09.2021 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया थाः

> चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा डिसप्लेस्ड पर्सन्स कलेम्स एण्ड अदर रिपील एक्ट 2005 (एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कर दिया गया है। डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) किया जा चुका है और कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखे गये है। जहां किसी अधिनियम के निरस्तीकरण के समय कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखे गये हो तो उस अधिनियम के तहत उस रिपील दिनांक को लम्बित कार्यवाहियां जनरल क्लॉज एक्ट के अनुसार उसी अधिनियम के तहत ही जारी रखी जायेगी। **चूंकि डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 के अन्तर्गत डिसप्लेस्ड पर्सन्स कलेम्स एण्ड अदर रिपील एक्ट 2005(एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त)**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कर दिया गया था किन्तु उसमें कोई सेविग क्लॉज नहीं रखे गये थे और हस्तगत प्रकरण उक्त अधिनियम के रिपील के समय विचाराधीन नहीं था अर्थात पूर्व में ही निर्णित हो चुका था। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अब डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 के तहत कोई कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 विधि सम्मत् है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी की निगरानी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2021 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त आदेश के पश्चात प्रार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष पुनः अपील पेश की थी, वो भी उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.07.2023 के द्वारा एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जा चुकी है। **चूंकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में साक्ष्यों और तथ्यों का अवलोकन कर, अंतिम निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी की निगरानी खारिज कर दी थी, इसलिए प्रार्थी द्वारा पुनः उसी आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार नहीं की जा सकती है।**

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रकरण में विचाराधीन हो तो उनको भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर